सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

महेश कुमार बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज दावा प्र.नं. 110/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
18-10-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-12-23 को पेश हो। कु.जो.र.कि.	
18-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21-12-23 को पेश हो। कु.जो.र.कि.	
21-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28-12-23 को पेश हो। कु.जो.र.कि.	
28-12-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4-1-24 को पेश हो। कु.जो.र.कि.	
4-1-24	पत्रावली पेश हुयी। वकुलाय उभय पक्ष० उपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 3, 4 एवं 8/1 से 8/4 की ओर से वकील धर्मेन्द्र सामोता उपस्थित। पत्रावली में पत्रांक- 22/2263 तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसको शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील वादी ने बहस अंतिम किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत राजीनामा [illegible] किये जाने की आंशिक रूप से [illegible] शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 04/01/24 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना(राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक(अन्तिम डिक्री)
110/2022	2022/180	05.08.2022	04.01.2024

उनवान प्रकरण

1. महेश कुमार पुत्र घीसा उम्र 68 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

--- वादी---

बनाम्

1. उमाशंकर पुत्र घीसालाल
2. द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल
3. किशोर कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति माली
4. चेतन प्रकाश पुत्र कन्हैयालाल जाति माली
5. गजेन्द सिंह पुत्र जवान सिंह जाति राजपूत
6. नरेन्द्र सिंह पुत्र जवान सिंह जाति राजपूत
7. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र जवान सिंह जाति राजपूत
8. गिरधारीलाल पुत्र मांगूराम जाति माली (दौराने दावा मृत्तक)
   8/1 शांति देवी पत्नि स्व. गिरधारीलाल
   8/2 सांवरमल पुत्र स्व. गिरधारीलाल
   8/3 कमलेश पुत्र स्व. गिरधारीलाल
   8/4 विनोद पुत्र स्व. गिरधारीलाल
   समस्त निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
9. महेश चन्द्र पुत्र मांगूराम जाति माली
10. रामकिशन पुत्र मांगूराम जाति माली
11. लक्ष्मीनारायण पुत्र गौरीशंकर जाति माली
    निवासीगण ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
13. उपपंजीयक अजीतगढ़ जिला सीकर।

--- प्रतिवादीगण ---

उपस्थितः–

श्री सरदार सिंह चौधरी, एड0 वादी अभिभाषक।
श्री धमेन्द्र सामौता, एड0 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 8 व 9 के अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 12 व 13 की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

वादपत्र बाबत घोषणा, विभाजन एंव स्थायी निषेधाज्ञा

(अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम दिवराला पटवार हल्का दिवराला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में नया खाता संख्या 326 पुराना खाता संख्या 357 की आराजी खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.2000 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर कृषि भूमि स्थित है। जिसमें वादी का शामलाती हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।उक्त उल्लेखित वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 579/4000 हिस्सा का सहखातेदारी की भूमि में हिस्सा अविभाजित संयुक्त खातेदारी की कब्जेकाश्त की भूमि है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार रामनारायण पुत्र नाथूराम का नाऔलाद फौत हो गया तथा वादी के जानकारी के अनुसार कोई भी विधिक वारिसान नहीं है।उपरोक्त उल्लेखित वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित कृषि भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त हो उसका उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उक्त सम्पति का लगान सरकारी वादी द्वारा अदा किया जा रहा है।उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का विधि अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन नहीं हुआ तथा पक्षकारगण उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज हो काश्त करते आ रहे है।वर्तमान में उपरोक्त वर्णित विवादग्रस्त भूमि के भावों में तीव्र बढोतरी हुई जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 के मन में बदनियति उत्पन्न हो गई है तथा उक्त वर्णित भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये विवादग्रस्त भूमि को विशिष्ट भू भाग के रूप में कृषि भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा हो रहे है परन्तु उक्त वर्णित विवादग्रस्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की अविभाजित भूमि सहखातेदारी कब्जे काश्त की भूमि है।दिनांक 01.08.2022 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 पांच सात दीगर व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये और विवादग्रस्त भूमि को दिखाने लगे तो वादी द्वारा उनके आने का कारण पूछने पर उन्होने कहा कि हम विवादग्रस्त भूमि का बिना विधिवत तकास्मा कराये विशिष्ट भू भाग के रूप में कृषि भूमि को बेचान कर उस पर निर्माण कार्य करेगे जिस पर वादी ने [illegible] संख्या 1 ता 11 से कहा कि अभी विवादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है [illegible] कारण आप भूमि का विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान नहीं कर सकते है ना ही निर्माण कार्य कर सकते है और ना ही उक्त विवादग्रस्त भूमि के किसी भी विशिष्ट भू भ[illegible] पर निर्माण कार्य कर सकते है। पहले भूमि का विभाजन करवा लो उसके बाद भूमि का बेचान कर देना उक्त बात को सुनकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व उनके साथ आये पांच सात दीगर व्यक्ति वादी को धमकाने लगे

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की इमतो उक्त विवादग्रस्त भूमि पर उक्त विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण कार्य करेंगे तुम्हें जो करना हो सो कर लो उक्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 की धमकी के कारण उक्त वाद बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी हुआ है।वादी को यह अधिकार हासिल है कि उपरोक्त वर्णित भूमियों का उपरोक्त वर्णितानुसार हिस्सा का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवा कर अपने हिस्से की भूमि का अलग पर्चा जारी करावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित भूमियों का बिना विधिवत विभाजन कराये विशिष्ट भू भाग के रूप में बेचान व हस्तान्तरण, रहन, बक्शीश व किसी प्रकार से अन्तरित ना करें ना ही मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य करावें तथा ना ही विवादग्रस्त भूमि के विशिष्ट भू भाग पर निर्माण करे तथा ना ही वादी को उसके हक व हिस्से की भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा कारित करे, ना ही राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन करें, ना ही भूमि का कोई विक्रय पत्र हस्तान्तरण पत्र तस्दीक करें, नही तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी।वकील वादी के द्वारा चाहा गया अनुतोष इस प्रकार है कि नया खाता संख्या 326 पुराना खाता संख्या 357 की आराजी खसरा नम्बर 2328 रकबा 0.2000 हैक्टयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.2000 हैक्टयर अवस्थित ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन करवा कर 579/4000 हिस्से का वादी का अलग पर्चा जारी करावें तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने हेतु प्रतिवादी संख्या 12 को निर्देशित किया जावें एवं प्रतिवादीगणको जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की सम्यक् तामिल हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 5 ता 7, 8/1 ता 8/4, 9 ता 11 की ओर श्री धर्मेन्द्र सामौता एड0 उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 8 के फौत होने पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामान् स्वीकार किया जाकर उनके विधिक वारिसान 8/1 से 8/4 को रिकॅार्ड पर लिया गया। प्रतिवादी संख्या 8 के विधिक वारिसान 8/1 ता 8/4 की ओर से श्री धमेन्द्र कुमार सामौता एड0 उपस्थित आये। प्रकरण में वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण की ओर से आदेशिका पर हस्ताक्षर कर सहमति व्यक्ति करते हुये वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 11 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे का[illegible] करवाया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 त[illegible] व [illegible]राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हु[illegible] नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव [illegible] से मंगवाये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में वकील वादी व वकील प्रतिवादी[illegible] की प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से

Rathore 04/01/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

एवं [illegible] के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु दिनांक 13.10.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से [illegible] के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक [illegible]/खाता/ख्या/प–51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/22 दिनांक 22.12.2023 द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई।वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया तथा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वकुलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादपत्र में उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के रिकॉर्डेड सह खातेदार काश्तकार होना तथा खातेदार गिरधारी लाल पुत्र मागूराम फौत होना प्रकट होता है। जिसके विधिक वारिसान 8/1 से 8/4 को रिकॉर्ड पर लिया गया। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम–1955 के अन्तर्गत धारा–53 बंटवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील वादी व पक्षकारान ने अपनी सहमति जाहिर की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाकर [illegible] रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम [illegible] डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—::क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत् घोषणा, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 11 के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरेंजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 22.12.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :–

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :–

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	326	1. उमांशकर पुत्र घीसालाल हि0 27/200 जाति ब्राह्मण 2. किशोर कुमार पुत्र कन्हैयालाल हि0 11/4000 जाति माली 3. गजेन्द्र सिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/6000 जाति राजपूत 4. गिरधारीलाल पुत्र मांगूराम हि0 7/500 जाति माली 5. चेतनप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 11/4000 जाति माली 6. द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल हि0 579/4000 जाति ब्राह्मण 7. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/4000 जाति राजपूत 8. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/4000 जाति राजपूत 9. महेश कुमार पुत्र घीसालाल हि0 579/4000 जाति ब्राह्मण 10. महेशचन्द्र पुत्र मांगूराम हि0 7/500 जाति माली 11. रामकिशन पुत्र मांगूराम हि0 7/125 जाति माली 12. रामनारायण पुत्र न[illegible] हि0 [illegible] जाति ब्राह्मण 13. लक्ष्मीनारायण पुत्र [illegible] हि0 [illegible]000 जाति माली सा0 दे[illegible]	2328	0.20	बारानी 1	1.23
		[illegible]	किता–1	0.20	–	1.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 04/01/24

मौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ख0नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	2328/1	0.05	बारानी 1	0.18
	योग	किता–1	0.05	–	0.18
2	उमांशकर पुत्र घीसालाल हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार	2328/2	0.02	बारानी 1	0.05
	योग	किता–1	0.02	–	0.05
3	1. उमांशकर पुत्र घीसालाल हि0 27/200 जाति ब्राह्मण 2. किशोर कुमार पुत्र कन्हैयालाल हि0 11/4000 जाति माली 3. गजेन्द्र सिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/6000 जाति राजपूत 4. गिरधारीलाल पुत्र मांगूराम हि0 7/500 जाति माली 5. चेतनप्रकाश पुत्र कन्हैयालाल हि0 11/4000 जाति माली 6. द्वारिका प्रसाद पुत्र घीसालाल हि0 579/4000 जाति ब्राह्मण 7. नरेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/4000 जाति राजपूत 8. पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र जवानसिंह हि0 49/4000 जाति राजपूत 9. महेश कुमार पुत्र घीसालाल हि0 579/4000 जाति ब्राह्मण 10. महेशचन्द्र पुत्र मांगूराम हि0 7/500 जाति माली 11. रामकिशन पुत्र मांगूराम हि0 7/125 जाति माली 12. रामनारायण पुत्र नाथूराम हि0 1/2 जाति ब्राह्मण 13. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरीशंकर हि0 19/2000 जाति माली सा0 देह खातेदार नोट :– खातेदार रामनारायण पुत्र नाथूराम जाति ब्राह्मण नाऔलाद फौत पाये गये एवं खातेदार भूरी देवी पत्नी सूरजमल फौत पाई गई	2328/3	0.13	बारानी 1	1.00
	योग	किता–1	0.13	–	1.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

04/01/24
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक भू.अ./23/1303 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुरेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

04/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.03.27 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

यह निर्णय आज दिनांक 04.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

04/01/24

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर